



HAPUR POLICE



प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा

दिनांक 11.03.2025

- थाना पिलखुवा पुलिस ने धोखाधड़ी/टप्पेबाजी कर भोले-भाले लोगों से नकली आभूषणों को बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
- जिनके कब्जे से ठगी के 1,02,000/- रुपये नकदी व टप्पेबाजी के दौरान दुकान से खरीदी गई चादर बरामद।
- गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा रास्ते/बाजारों में घूम फिरकर भोले-भाले लोगों/दुकानदारों को चिन्हित कर चालाकी से उन्हें बातों में उलझाकर नकली आभूषण बेचकर ठगी/टप्पेबाजी जैसी घटनाएं कारित की जाती थीं।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 718/24 व मु0अ0सं0 122/25 धारा 318(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्तों को जटपुरा कट से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ठगी के 1,02,000/- रुपये नकदी व टप्पेबाजी के दौरान दुकान से खरीदी गई चादर बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. गणेश पुत्र राजपाल निवासी बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।
2. शान्ति पत्नी गणेश निवासी बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1,02,000/- रुपये नकदी सम्बन्धित (मु0अ0सं0 122/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड़) ।
- टप्पेबाजी के दौरान दुकान से खरीदी गई चादर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
2. है0का0 580 राजेन्द्र थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
3. है0का0 54 अभिषेक थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
4. है0का0 636 दीपक थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।
5. म0का0 252 निगम भारती थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।